संख्या-460/2025/422के-2/22-3-2025-17(843)/19

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 22 सितम्बर, 2025

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी राजपाल पुत्र श्री बिजेन्द्र सिंह, निवासी जनपद-हाथरस की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक, मुख्यालय कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 के पत्र संख्या-27511/प्रोबे0-5-दया0 बैठक-04-08-2023, दिनांक 04.09.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी राजपाल (बंदी संख्या-17199) पुत्र श्री बिजेन्द्र सिंह, जो ग्राम-गढ़ उमराव, तहसील व थाना-सादाबाद, जनपद-हाथरस का निवासी है। बंदी द्वारा दिनांक 26-06-1982 को 06 सहअभियक्त के साथ मिलकर गर्दन पर वार करके 01 व्यक्ति की हत्या की गई। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-239/1982 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 147 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, सत्र न्यायाधीश, मथुरा के आदेश दिनांक 26-07-1983 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया तथा मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 20-10-2016 द्वारा उक्त दण्ड यथावत रखा गया। बंदी मानसिक रूप से आपराधिक प्रवृत्ति का होने, पुन: अपराध कारित करने की संभावना होने, बंदी के परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने के कारण पुलिस अधीक्षक व जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। दयायाचिका समिति द्वारा बंदी की आयु 69 वर्ष होने तथा आजीवन कारावास की सजा के सापेक्ष मात्र 07 वर्ष, 02 माह की अपरिहार सजा भोगे जाने एवं पुलिस अधीक्षक व जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त दयायाचिका समिति द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी राजपाल (बंदी संख्या-17199) पुत्र श्री बिजेन्द्र सिंह, निवासी जनपद-हाथरस की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त मा0 राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
सूर्य प्रकाश मिश्र
उप सचिव

संख्या-422(1)के-2/22-3-2025 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
2- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
3- जिला मजिस्ट्रेट, हाथरस।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक जिला कारगार, गाजियाबाद को विशेष अनुज्ञा याचिका (किमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-4/2021 पालिसी स्ट्रेटजी फार ग्राण्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय में पारित आदेशों के सन्दर्भ में।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अनीस अख्तर अंसारी
अनु सचिव।